

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं०सं०-पि०व०/7/आ०क०वि०प्र०एवं संधा०-39-11/2026- 452

पटना, दिनांक- 20/7/24

—:: कार्यालय आदेश ::—

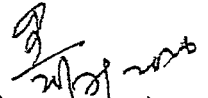
अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालयों में पदस्थापित प्रारंभिक शिक्षक (प्रशिक्षित) (कक्षा-6 से 8), माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) (TGT), उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (PGT) से जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में इन्हें उच्चतर योग्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नवत् रूप से प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	शिक्षक का नाम	पदनाम/विषय	गृह जिला	पदस्थापित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय का नाम	विभागीय अनुमति
1	2	3	4	5	6
1	श्री नन्दू कुमार	माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) (TGT)/ गणित	बाँका	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, पूर्णियाँ	स्नातकोत्तर (पी०जी०) कोर्स सत्र 2025-27 में नामांकन हेतु
2	श्री रजनीश कुमार यादव	माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) (TGT)/ विज्ञान	गढ़वा (झारखंड)		
3	श्री रंजन कुमार सिंह	प्रारंभिक शिक्षक (प्रशिक्षित) (कक्षा-6 से 8)/गणित एवं विज्ञान	औरंगाबाद	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, अरवल	IGNOU से सत्र-2026-28 में M.A में नामांकन हेतु
4	श्री कौशल किशोर	माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) (TGT)/ गणित	खगड़िया	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, जमुई	सत्र-2025-27 में योग्यता विस्तार हेतु M.sc. की सत्रीय परीक्षा के लिए अध्ययन और परीक्षा में भाग लेने हेतु
5	श्री रोहित कुमार	माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) (TGT) विषय-शारीरिक शिक्षा	भागलपुर		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से सत्र 2024-26 में नामांकन एवं स्नातकोत्तर करने हेतु
6	सुश्री/ श्रीमती वर्षा नयन	प्रारंभिक शिक्षक (प्रशिक्षित) (कक्षा-6 से 8)/ सामाजिक विज्ञान	शेखपुरा		

7	श्रीमती मुस्कान वर्मा	प्रारंभिक शिक्षक (प्रशिक्षित) (कक्षा-6 से 8)/ गणित एवं विज्ञान	वैशाली	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, प0 चम्पारण	नालन्दा खुला विश्वविद्यालय से सत्र-2025-27 में विषय Zoology में स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु
---	-----------------------------	---	--------	--	--

2—यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उल्लेखित उच्चतर शिक्षा हेतु इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि विधिवत अवकाश स्वीकृत कराकर सम्मिलित होंगे एवं इससे अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के दैनिक/शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं होंगे।

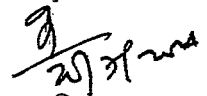
3— प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(गोपाल प्रसाद)
उप निदेशक।

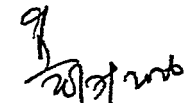
ज्ञापांक— पि०व०/7/आ0क0वि0प्र0एवं संधा0-39-11/2026- 452 पटना, दिनांक— 20/7/26
प्रतिलिपि:—1. संबंधित जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. संबंधित प्रारंभिक शिक्षक (प्रशिक्षित) (कक्षा-6 से 8)/माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) (TGT)/उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) (PGT) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप निदेशक।

ज्ञापांक— पि०व०/7/आ0क0वि0प्र0एवं संधा0-39-11/2026- 452 पटना, दिनांक— 20/7/26
प्रतिलिपि:— आई0टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।


उप निदेशक।